[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 49/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्तूबर, 2017.

सा.का.नि..........(अ).-- केंद्रीय सरकार, सा.का.नि. सं. 1305(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. **48**/2017- केंद्रीय कर तारीख **18** अक्तूबर, 2017 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाउल्लिखित ऐसे साक्ष्य के रुप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | साक्ष्य |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1 | यथास्थिति, अग्रिम प्राधिकार धारक या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक का अधिकारिता वाला कर अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त हो गई हैं या प्रापतिकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यकत: हस्ताक्षरित ऐसा कर बीजक जिसके अधीन ऐसी पूर्तियां पूर्तिकर्ता द्वारा की गई हैं, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं, की एक प्रति । |
| 2 | समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्रापतिकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसी पूर्तियों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है । |
| 3 | समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्रापतिकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसी पूर्तियों की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा । |

[फा. सं. 349/58/2017 - जीएसटी (पी.टी.) ]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार